

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्रा (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) से (ग). वस्तुतः यह मामला राज्य के क्षेत्राधिकार में है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना-नुसार, पांच श्रमिक जो प्रिवेंशन डिटेन्शन के अधीन हवालात में रखे गये थे, की सेवाएं प्रबन्धकों द्वारा समाप्त कर दी गई थीं। पता चला है कि पांचों ही श्रमिक अप्रैल 19, में बहाल कर लिए गये हैं। जहां तक कार्यभार के बढ़ने के आरोप का संबंध है यह मामला मध्य प्रदेश की सरकार के ध्यान में लाया गया है।

Memorandum on Merger of C.C.W.O. with B.C.C.L.

1535. SHRI A. K. ROY: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) whether Memorandum dated 11th April, 1977, submitted by Convener C.C.W.O. Co-ordination Committee, Hindustan Steel Ltd., Dhanbad regarding merger of Central Coal Washeries Organisation with Bharat Coking Coal Ltd., has been received;

(b) if so, the reaction of Government on the issues raised in the memorandum; and

(c) action proposed to be taken and the policy of Government in this regard?

THE MINISTER OF STEEL AND MINES (SHRI BIJU PATNAIK): (a) Yes, Sir.

(b) and (c): The entire question of restructuring Hindustan Steel Ltd., is under examination and the views expressed in the Memorandum will be duly considered while taking a final decision in the matter.

चूनापत्थर खानों में न्यूनतम मजूरी का भुगतान

1536. श्री सुखेन्द्र सिंह : क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी खानों के मजदूरी के लिये न्यूनतम मजूरी निर्धारित कर दी गई है, और यदि हां, तो पत्थर की खानों में काम कर रहे मजदूरों की न्यूनतम मजूरी की दर क्या है ;

(ख) क्या चूना पत्थर खानों के मजदूरों को न्यूनतम मजूरी मिल रही है और उन खानों के मालिकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है जहां यह लाभ नहीं दिया जा रहा है ;

(ग) क्या सतना स्टोन एण्ड लाइम कम्पनी लिमिटेड, सतना (मध्य प्रदेश) की चूनापत्थर खानों में काम कर रहे मजदूरों को न्यूनतम मजूरी अधिनियम के उल्लंघन में इस समय दो रुपये प्रतिदिन की दर से मजूरी दी जाती है और यदि हां, तो दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है !

(घ) सरकार का विचार चूना पत्थर खानों में न्यूनतम मजूरी अधिनियम को किस प्रकार प्रभावी ढंग से लागू करने का है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्रा (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) ऐसी खानों के वर्गों का विवरण संलग्न है जिनमें न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अधीन न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की गई है। मजदूरी दरें इस प्रकार है :—

अकुशल	5.80 रुपये प्रति दिन
अर्धकुशल	7.25 रुपये प्रति दिन
कुशल	8.70 रुपये प्रति दिन

(ख) : जी हां, उल्लंघन के मामलों में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के उपबंधों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाती है। तथापि, कुछ चूना पत्थर मालिकों ने यह तर्क देते हुए कर्नाटक उच्च न्यायालय में रिट-याचिका दायर की है कि पत्थर खानों

में रोजगार के संबंध में निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दरें चूना पत्थर में लागू नहीं होती क्योंकि लाइम स्टोन पत्थर नहीं है। इन रिट याचिकाओं का सरकार द्वारा प्रतिरोध किया जा रहा है परन्तु न्यायालय ने याचिका-दाताओं के संबंध में न्यूनतम मजदूरी अधिसूचना को लागू करने के स्थगन आदेश जारी कर दिये हैं।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है।

(घ) प्रवर्तन तंत्र को समय-समय पर सलाह दी जाती है कि वे अधिसूचित मजदूरी-दरों को कड़ाई से लागू कराएँ।

बिबरण

- (1) जिप्सम खानों में रोजगार
- (2) बेराईटिस खानों में रोजगार
- (3) बौक्साइट खानों में रोजगार
- (4) मैंगनीज खानों में रोजगार
- (5) चीनी मिट्टी खानों में रोजगार
- (6) कायनाइट खानों में रोजगार
- (7) तांबा खानों में रोजगार
- (8) चिकनी मिट्टी खानों में रोजगार
- (9) पत्थर खानों में रोजगार
- (10) सफेद मिट्टी खानों में रोजगार
- (11) अग्नि मिट्टी खानों में रोजगार
- (12) गेरू खानों में रोजगार
- (13) स्टियम्राइट (सोप स्टोन और टैल्क सहित) में रोजगार।
- (14) ऐस्बेस्टास खानों में रोजगार।
- (15) क्रोमाइट खानों में रोजगार
- (16) क्वार्टाईज खानों में रोजगार
- (17) कांचमणि खानों में रोजगार।
- (18) सिलिका खानों में रोजगार।
- (19) अन्नक खानों में रोजगार।

Visit of Deputy Foreign Minister of U.S.S.R.

1537. SHRI P. K. DEO: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the Soviet Deputy Foreign Minister paid an unannounced visit to India and held talks with the senior officials of the External Affairs Ministry recently; and

(b) if so, the main points of the talks held?

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI ATAL BIHARI VAJ-PAYEE): (a) and (b). Mr. N. P. Firyubin, Deputy Foreign Minister of the USSR, made a transit halt in New Delhi from June 9—11, 1977, on the conclusion of his visits to Nepal, Burma, Laos and Vietnam. During his stop-over in New Delhi, Mr. Firyubin had a meeting with senior officials of the Ministry of External Affairs in the course of which he informed the Indian side in general terms about his visits to the countries in South and South-East Asia. The opportunity was also taken for an exchange of views on bilateral matters and international problems.

Return of Dalai Lama to Tibet

1538. SHRI C. K. CHANDRAPAN: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the attention of Government has been drawn to a Chinese Government statement recently on the question of return and rehabilitation of Dalai Lama; and

(b) if so, the reaction of the Government thereto?

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI ATAL BIHARI VAJ-PAYEE): (a) Attention of the Government has been drawn to a statement which appeared in the NCNA on 1st May, 1977, reportedly made by a Vice-Chairman of the Standing Committee of the National People's Congress on the subject to a visiting Japanese delegation.

(b) It is for His Holiness the Dalai Lama to decide on the response.